International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 04(III), October - December, 2023, pp. 26-31

सूचना का अधिकार एवं शासन के लिए सूचना के अधिकार की महत्ता का अध्ययन

डॉ. इन्द्र कुमार मीना*

सार

हमारा लोकतन्त्र और जानने का अधिकार में लोकतंत्र में सूचना के अधिकार को विस्तार से बताते हुए कहा गया है कि इसमें लोग सम्प्रभु है। अतः उन्हें जानने का अधिकार होना चाहिए। इसके बिना न तो वे देश की नीतियाँ बनाने में शामिल हो सकते है ना ही उनके क्रियान्वयन में भागीदरी और निगरानी कर सकते है। इसलिए सूचना का अधिकार ही लोकतन्त्र में जन भागीदारी का प्रमुख यन्त्र बन सकता है। लेख में सूचना के अधिकार को प्राप्त करने की वैश्विक परिघटना को बताते हुए सरकारी गोपनीयता, कानून तथा गोपनीयता से पारदर्शिता की यात्रा तथा उस यात्रा में राज्यों की अनकही दास्तान का वर्णन किया है साथ ही सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के साथ गैर सरकारी संगठनों तथा मीडिया की भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। सूचना के अधिकार से सम्बन्धित उददेश्यों, शासन के लिए सूचना के अधिकार की महत्ता, समस्याओं तथा चुनौतियों, राष्ट्रीय तथा राज्य सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों, सूचना आयोग की प्रक्रिया के बारे में बताने का प्रयास किया है।

शब्दकोशः *सूचना, अधिकार, शासन, लोकतन्त्र, कार्य एवं शक्तियाँ, चुनौतियाँ, गोपनीयता, गुणात्मक, सुशासन।*

प्रस्तावना

भारत को राज्य के मामलों में गोपनीयता की संस्कृति औपनिवेशिक शासन से विरासत में मिली थी। स्वतंत्रता के बाद भी इसकी दृढता देश के लोकतांत्रिक शासन का अपमान बनी रही। 1950 में संवैधानिकता के साथ संघ और राज्य स्तर पर संसदीय लोकतंत्र का संस्थानीकरण करने और एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के माध्यम से समय–समय पर संसदीय और राज्य विधायी चुनाव कराने से शासन के प्रतिरूप में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर गुणात्मक परिवर्तन के लिए कई चीजें वांछित थी। यह निरंतर गोपनीयता में छिपा रहा। परिणामस्वरूप, लालफीताशाही, अक्षमता, शक्ति का दुरूपयोग, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, धन का गलत उपयोग, गरीबी का विस्तार, केंद्रीय प्रायोति योजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लाभों से स्वयं को वंचित करना, उन लोगों के लिए भ्रान्तिजनक बना रहा जिनके लिए ये बनाए गए थे। वास्तविक बात यह है कि लोकतंत्र केवल सार्वभौमिक मताधिकार आधारित चुनावों की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार की संस्था नहीं है। यहां तक कि निष्पक्ष चुनाव कराना और सत्ता में हाथ बदलना अर्थात् दूसरी पार्टी में चले जाना भी सुशासन के लिए पर्याप्त नहीं है। हालाँकि, लोकतंत्र के सिद्धांत सुशासन प्राप्त करने का आवश्यक राजनीतिक वातावरण प्रदान करते हैं। उत्तरदायित्व, जवाबदेही, पारदर्शिता और पहुँच के लिए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अभिनव और नागरिक केंद्रित उपायों की भी आवश्यकता है। सूचना का अधिकार (आर टी आई) एक व्यापक संहिता है, जो नागरिकों के लिए सुशासन सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

* सहायक आचार्य, (राजनीति विज्ञान विभाग), राजकीय महाविद्यालय, रैणी, अलवर, राजस्थान।

सूचना का अधिकार

सूचना किसी प्रकर की कोई सामग्री हो सकती है, जिसमें अभिलेख दस्तावेज, मीमों, ई–मेल, विचार, परामर्श, परिपत्र, आदेश, प्रतिवेद, नमूने, कागजात, बानगी आदि किसी भी रूप में रखी गई इलेक्ट्रानिक सांख्यकी सामग्री एवं निजी संकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना जो लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी कानून में प्राप्त की जा सकती है सम्मिलित होते है। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के भाग–3 में मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19–22 में स्वतंत्रता के अधिकार के सम्बन्ध में प्रावधान किए गए है। सूचना का अधिकार अनुच्छेद–19 (1) 9 में प्राप्त भाशण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक भाग माना गया है। सूचना का अधिकार को अनु. 21 में प्राप्त जीने के अधिकार का ही भाग है। सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005, देश के नागरिकों को लोकतंत्र में पारदर्शिता, उत्तदायित्व की सुनिश्चितता प्रदान कराता है। अतः यह अधिनियम नागरिकों को वास्तविक लोकतंत्र का आभास कराता है और आम नागरिकों को शासन प्रशासन से सीधे प्रश्न पूछने जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

विश्व में स्वीड़न पहला देश है, जहां सन् 1766 में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके महत्व पर बल देते हुए सन् 1948 में मानवअधिकारों के घोशणा पत्र के अनुच्छेद–4 में विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम–2002 में अटल बिहार सरकार द्वारा सूचना की स्वतंत्रता (FOI-Freedom of information) बिल संसद में रखा गया परन्तु बिल पास नहीं हो सका था। मार्च, 2005 में सूचना के अधिकार बिल को पुनः संसद मे पेश किया गया और 11 मई, 2005 में लोकसभा तथा 12 मई, 2005 को राज्यसभा में पारित किया गया और 12 जून, 2005 को इसे राश्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। 12 अक्टूम्बर, 2005 को सूचना के अधिकार को यू. पी. ए. प्रथम (संयुक्त प्रगतीशील गठबन्धन) सरकार द्वारा (जम्मू एवं कश्मीर) को छोड़कर पूरे देश में लागू किया। तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जहां सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम सन् 17 अप्रैल, 1997 को पारित किया तथा गोवा देश का दूसरा राज्य है, जिसनें 14 जुलाई, 1997 को सूचना का अधिकार विधेयक प्रस्तुत कर 31 जुलाई, 1997 को लागु किया गया था। राजस्थान को सूचना के अधिकार की मरूभूमि कहा जाता है क्योंकि रास्थान में ''अरूणाराय'' प्रसिद्ध समाज सेविका के ''मजदूर किसान शक्ति संगठन'' के नेतृत्व में ब्यावर (अजमेर) में सर्वप्रथम एक आंदोलन किया था। राजस्थान ने अपना सूचना का अधिकार कानून 26 जनवरी, 2001 को लागू किया था।

सूचना आयोग की प्रक्रिया

आर. टी. आई. के तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी संस्थाओं से सूचना प्राप्त कर सकता है। जिसके लिए उसे साधारण प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदन करना होता है जिसके साथ दस (10) रूपये की रसीद कटवाकर प्रेशित करना होता है। जबकी बी. पी. एल. श्रेणी के लोगों को शुल्क मुक्त सूचनाएं प्राप्त होती है। इस अधिनियम के अनुसार आवेदन करने के 30 दिन के अन्दर सूचनाएं देनी होगी, किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सूचनाएं 24 घंटे के भीतर उपलब्ध करवानी होगी तथा थर्ड़ पार्टी (तृतीय पक्षकार) से सम्बन्धित सूचनाएं देने के लिए 5 दिन अतिरिक्त मिलेगें। सूचना समय पर न देने पर, सूचना से इन्कार करने अथवा गलत सूचना देने पर अपील अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी। प्रत्येक राज्य एक सूचना आयोग का गठन करेगा। सूचनाएं समय पर ना देने पर दोशी अधिकारी पर 250 रू प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रू का जुर्माना लगाया जा सकेगा। लेकिन देश की सूरक्षा, अखंडता, न्यायपालिका के विशेश अधिकार और अन्तर्राश्ट्रीय सम्बन्ध के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

राष्ट्रीय सूचना आयोग

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के अध्याय–4 की धारा–12 के तहत प्रावधनों का क्रियान्वयन करने, उन्हें नियंत्रित करने के लिए क्रेन्द्र सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का अधिकार है। जिसके अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना निम्न प्रकार होगीः

- मुख्य सूचना आयुक्त तथा
- सुचना आयुक्त (जिनकी अधिकतम संख्या 10 तक होगी)।

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राश्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होगी इस समिति में निम्न सदस्य होते है–

- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
- लोकसाभा में विपक्ष के नेता (सदस्य) और
- प्राधानमंत्री द्वारा नामित संघ मत्रिमंडल का एक मंत्री।

मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों का कार्यकाल

मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्श या 65 वर्श होता है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, परन्तु सूचना आयुक्तों को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त – वजाहत हबीबुल्ला थे।

राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग गठन का वर्णन सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–4 की धारा–15 के तहत किया गया है। प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राजस्थान सूचना आयोग के निकाय का गठन करेगी। राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल, 2006 को किया गया जो निम्न प्रकार होगा –

- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और
- राज्य सुचना आयुक्त (अन्य आयुक्तों की संख्या 10 होगीं)।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। उस समिति में निम्न प्रकार व्यक्ति होते है–

- मुख्यमंत्री (अध्यक्ष)
- विधानसभा में विपक्ष का नेता (सदस्य) एवं मुख्यमंत्री द्वारा नामित मत्रिमंड़ल का सदस्य (सदस्य)

मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्श या 62 वर्श होता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, परन्तु सूचना आयुक्तों को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त– एम. डी. कौरानी थे तथा वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त– सुरेश चौधरी है।

राष्ट्रीय तथा राज्य सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18, 19 एवं 20 में सूचना आयोग के कार्यो तथा शक्तियों का विवरण हैं।

- यह नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जाँच करने
- अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने,
- दोषी अधिकारीयों को दण्ड़ित करने तथा
- अधिनियम की कुशल क्रियान्विति करने के लिए लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दे सकता हैं।

सूचना आयोग का कर्त्तव्य है कि किसी व्यक्ति से शिकायते प्राप्त कर उनका समाधान करना, जाँच का अधिकार, न्यायालीय अधिकार, दस्तावेजों की प्राप्ति एवं परिक्षण का अधिकार, यदि लोक प्राधिकारी के अधिनियम के प्रति लापरवाही करने पर सूचना आयोग उस प्राधिकारी को निर्देश दे सकता हैं, सूचना आयोग प्रतिवर्श

वार्शिक रिर्पोट तैयार कर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। अतः प्रशासन में जनता की सहभागिता को बढाने के लिए के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय समस्याओं का समाधान तथा व्यापक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। सूचना का अधिकार नागरिकों तथा सरकार के बीच आपसी विश्वास एवं सम्बधों को बढ़ावा देता है। सूचना का अधिकार लोगों में आशा की नई किरण और जनसभागिता का विकास करता है तथा प्रशासन में भ्रश्टाचार पर अकुंश लगाता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम की चुनौतियाँ

- यह अधिनियम आम लोगों को प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, किंतु निरक्षरता और जागरूकता की कमी के कारण भारत में अधिकांश लोग इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।
- कई लोग मानते हैं कि इस अधिनियम में प्रावधानों का उल्लंघन करने की स्थिति में जो जुर्माना/दंड दिया गया है वह इतना कठोर नहीं है कि लोगों को इस कार्य से रोक सके।
- इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जन जागरूकता का अभाव, सूचनाओं को संग्रहीत करने और प्रचार–प्रसार करने हेतु उचित प्रणाली का अभाव, सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की अक्षमता और नौकरशाही मानसिकता आदि को सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में बड़ी बाधा माना जाता है।
- सरकार के कार्यालयों और विभागों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार से निपटने के लिये सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 एक मजबूत उपाय साबित हुआ है।
- यह कानून स्वतंत्र भारत मे पारित सबसे सशक्त और प्रगतिशील कानूनों में से एक है।
- भ्रष्टाचार से मुकाबले के लिये एक कारगर उपाय होने के बावजूद यह कानून कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहा है, और इस कानून की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिये इन समस्याओं और चुनौतियों को जल्द–से–जल्द संबोधित करना आवश्यक है।

सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सूचना के अधिकार कानून का अधिनियमन और महत्त्व

2004 में, संसदीय चुनावों के कारण डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व के तहत केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबधन सरकार का गठन हुआ। इस सरकार ने सूचना का अधिकार विधेयक, 2005 को संसद में प्रस्तुत किया। इसे लोकसभा ने 11 मई, 2005 को और राज्यसभा ने 12 मई, 2005 को मंजूरी दे दी थी। इस विधेयक को 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिली थी और यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। विधेयक के मूल मसौदे में 150 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। यह अधिनियम अपेक्षाकृत कमजोर और अप्रभावशाली कानून, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 की जगह लेता है, जिसे राष्ट्रीयजनतांत्रिक गठबंधन (छंजपवदंस क्मउवबतंजपब ।ससपंदबम. छक।) सरकार द्वारा एन सी पी आर आई की मांग को स्वीकार करने के लिए पारित किया गया था। एक प्रगतिशील और प्रबुद्ध शासन प्रतिमान के निर्माण के लिए भारत की खोज में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मील का पत्थर है। यह एक ऐसे समाज के आरंभ की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसमें समानता, समावेशिता और सशक्तिकरण इसकी प्रमुख विशेषताओं के रूप में है। प्रशासनिक संस्कृती और प्रक्रियाओं में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की अपेक्षा में, नए कानून को पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ लागू किया गया था। कुछ

पहलुओं में यह अधिनियम वास्तव में अपनी सीमा और निहितार्थों में अद्वितीय है। उदाहरण के लिए, एक सूचना चाहने वाले को अपने अनुरोध के कारण का प्रकटीकरण करने या इसकी मांग करने के लिए अपना अधिकार स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यह उस शुद्ध सार्वजनिक भावना को दर्शाता है, जो कानून के पीछे थी। अधिनियम को लागू करना और उसका कार्यान्वयन बड़ी चुनौतियों के बिना नहीं था। लेकिन क्रमिक सरकार से मजबूत समर्थन ने भारत में शासन के सिद्धांतों में कानून को मजबूती से स्थिर होने में सहायता की। यह एक वादा है, जो देश के नागरिकों ने स्वयं से किया था। एक बार अनुभव हो जाने के बाद, यह उस तरीके को बदल देगा, जिस तरह से सत्ता में रहने वाले लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। एक बार भारत की प्रशासनिक कार्यों में अच्छी तरह से निहित होने के बाद, अधिनियम विकासशील और विकसित दुनिया के अन्य देशों के लिए सूचना तक पहुँच प्रदान करने के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करते हैं।

शासन के लिए सूचना के अधिकार का महत्त्व

यद्यपि सूचना के अधिकार को पहले ही भाषण् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में न्यायिक मान्यता मिल चुकी थी, सूचना का अधिकार निम्नलिखित कारणों से शासन का एक महत्त्वपूर्ण गुण है:

- सुशासन को मुख्य रूप से एक पारदर्शी, कुशल, भ्रष्टाचार मुक्त, लोगों के अनुकूल, जिम्मेदार, लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत शासन के रूप में परिभाषित किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र संगठन, राष्ट्र के राष्ट्रमंडल, यूरोप की परिषद और अमेरिकी राज्यों के संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने भी सूचना की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश या आदर्श कानून का मसौदा तैयार किया है।
- गोपनीयता प्रायः भ्रष्टाचार के लिए प्रजनन स्थल होती है। सरकारें इस उद्देश्य के लिए प्रदर्शन के वित्तीय और कार्यकारी लेखा परीक्षा जैसे उपाय करती है।
- लोकतंत्र में शासन के लिए आवश्यक है कि शासन की प्रक्रिया में प्रभावशाली रूप से भाग लेने के लिए नागरिकों को सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया है।
- सूचना तक पहुँच शासन के लोकतंत्रीकरण के लिए एक मूल आवश्यकता को भी पूरा करती है।
- उत्तरदायित्व केवल अभिलेखों को खोलने की बात नहीं है, यह अधिक मन की स्थिति में जहां प्रत्येक कार्रवाई सचेत जागरूकता की साथ की जाती है, जिससे प्रत्येक कार्य को ईमानदारी के मानदों के अनुरूप होना चाहिए।
- शासन तंत्र में खुलापन और जवाबदेही भी सरकार का एक गैर–मनमाना रूप सुनिश्चित करती है। सरकार की प्रक्रियाओं और प्रथाओं में पारदर्शिता भी सत्ता के मनमाने उपयोग को रोकती है।
- प्रशासनिक दक्षमता कई कारकों के संबंध में मूल्यांकन का विषय है। दक्षता के मौलिक और व्यावहारिक मानकों को स्थापित करने और उनके पालन करने के लिए बार–बार प्रयास किए जाते हैं।

निष्कर्ष

इस इकाई में की गई चर्चा के आधार पर यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक मजबूत सूचना का अधिकार व्यवस्था सुशासन के लिए मौलिक शर्त है। पिछले कई वर्षों में, मानवाधिकार विमर्श के साथ–साथ बड़े लोकतांत्रिक विमर्श में 'सूचना का अधिकार' की प्रमुखता में वृद्धि हुई है। चूँकि, एक लोकतांत्रिक सरकार को जनता के विचार के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, इसके द्वारा लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह बिना कहे समझा जा सकता है कि सूचना तक नागरिक की पहुँच जितनी अधिक होगी, समुदाय की जरूरतों के प्रति सरकार की जवाबदेही उतनी ही अधिक होगी। प्रभावशाली जवाबदेही

पर्याप्त रूप से सूचना के साथ लोगों के परिचित होने पर टिकी हुई है। एक प्रणाली जो गोपनीयता में काम करती है, वह लोगों के विश्वास के साथ–साथ अपनी वैधता और विश्वसनीयता को भी खो देती है। खुलापन और सूचना तक पूर्ण पहुँच लोकतांत्रिक राज्य के दो स्तंभ है। ये नागरिकों को शासन और विकास की प्रक्रिया में सार्थक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना एक जागरूक जनता की धारणा पर ही हो सकती है, जो अपने शासन में सोच–समझकर भाग लेने में सक्षम हो। वस्तुतः सूचना और ज्ञान परिवर्तन के प्रमुख साधन है। इसलिए, पर्याप्त जानकारी के बिना, प्रतिनिधि लोकतंत्र कमजोर रहता है। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन और सूचना का अधिकार शासन के रूप में इसका संस्थानीकरण प्रशंसनीय कदम रहा है। ये काफी हद तक सुशासन के लिए क्रियाशील रहे हैं। निःसंदेह सूचना के अधिकार से शासन को मजबूती मिली है। इसीलिए इसे सुशासन की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में मान्यता दी गई है। परंतु पाठ्यक्रम में सुधार के लिए नीतिगत 60 हस्तक्षेपों के माध्यम से और अधिक की आवश्यकता है। गोपनीयता की संस्कृति को गहराई से समाहित करना होगा। पिछले 15 वर्षों में, भारतीय समाज के गरीब, वंचित और हाशिए के वर्गों ने विकास और समृद्धि के अपने हिस्से में एक प्रत्यक्ष परिवर्तन का अनुभव किया है, जिसमें कुछ सीमा तक जीवन की गुणवत्ता बेहतर हुइ है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा कल्याण और आजीविका सृजन योजनाओं में भ्रष्टाचार पर एक बड़ी जाँच के कारण संभव हुआ है। केंद्रीय और राज्य आयोगों ने कैबिनेट पेपर और फाइल नोटिंग से लेकर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के हाजरी रजिस्र (मस्टर रोल) और ग्राम पंचायत के खर्च तक प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर सावधानीपूर्वक अभिलेख (त्मबवतक) के रखरखाव और डेटा को रखने की संस्कृति को विकसित करने में एक लंबा सफर तय किया है। पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी शासन की लंबी यात्रा में यह अपने आप में कोई मामूली उपलब्धि नहीं है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. चौबिसा आर. के. ''सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 प्रथम एवं द्वितीय अपील'', प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन प्रसंस्थान, जयपुर, 2017
2. डॉ. जनक सिंह मीना ''सूचना का अधिकार'' राजा पाकेट बुक्स, दिल्ली, 2018
3. डॉ. सुरेन्द्र सिंह ''सूचना का अधिकार–2005, समस्या एवं समाधान'' राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2013
4. Maithani, B.P. (2007). Some Grey Areas of the RTI Act. Dehradun, India: Uttarakhand Information Commission.
5. Mistry, I.J. (2006). Breaking the bureaucratic Mould.Yojana. 50, 9-11.
6. Roy, J. G. (2006). Right to Information Initiatives and Impact.Occasional Paper. New Delhi, India: Indian Institute of Public Administration.
7. Suchi Pande and Shekhar Singh, Right to Information Act, 2005: A Primer, National Book Trust, India, New Delhi, 2008.

❖◆❖